फर्द अहकाम

नियम 26

अज अदालत.........**सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक** ....मुकाम.....................**भादरा**...

.... **सुभाष**.........................बनाम्................ **रामेश्वर** ....

किस्म मुकदमा............**212 आर.टी.ए.** ....न० ...67/18.......सन्............... **2018**.............................

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
07.09.2018	आज यह स्थगन प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थी के द्वारा पेश किया। रिर्पोट सिगेदार होने के बाद प्रकरण अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी एवं प्रस्तुत दस्तावेज, शपथ पत्र से सन्तुष्ट होकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस अमर की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी 08.10.2018 तक जारी की जाती है कि रोही मौजा ढाका के खसरा न0 152/3 की कुल 2.4956है0 बारानी वादभूमि में दखलअंदाजी स्वयं या अपने आदमियों के मार्फत न करें व ना ही उसमें स्वयं या अपने आदमियों के मार्फत खुदाई न करें। यह आदेश बैंक राको एक्ट प्रकरण, वाप्कोस कार्य DILRMP पर लागू/प्रभावी नहीं होगा। इस सम्बन्ध में आपको कोई उज्र एतराज हो तो असालतन या वकालतन इरा न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करें। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 08.10.2018 को पेश है। RW	
8.10.18	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व वकील प्रार्थी को बार बार आवाज लगाई गई। कोई उप० नहीं आया। अतः उपरोक्त अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थी आगामी तारीख पेशी तक खारिज की जाती है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। RW	